डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम —हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

सन्तोष कुमार शर्मा पुत्र निरंजन लाल, जाति जांगिड निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान ———————————— वादी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र गिलासी
2. सुरेन्द्र उर्फ शिवा
3. राजू
4. अभिषेक
5. नरसिम्हा
6. सावित्री पत्नी देवीसिंह

(क्रमांक 2 से 5) पिसरान देवीसिंह

समस्त जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, मुकदमा नं0 78/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1577/915 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग—उपभोग, निर्माण में ना तो बाधा, मजाहमत स्वयं पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा वादी के पक्के डण्डे को नहीं तोड़े, वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर पर प्रवेश नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादी के हक—हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.10.2025 को यह डिक्री जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली) 29/10/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 78 / 2022 तारीख रजू:– 21.04.2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

सन्तोष कुमार शर्मा पुत्र निरंजन लाल, जाति जांगिड निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान —————————————— वादी

बनाम

1. देवीसिंह पुत्र गिलासी
2. सुरेन्द्र उर्फ शिवा
3. राजू
4. अभिषेक
5. नरसिम्हा
6. सावित्री पत्नी देवीसिंह

(क्रम 2 से 5: पिसरान देवीसिंह)

समस्त जाति जाट निवासी जमालपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान —————————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :–29.10.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं. 1577 / 915 रकबा 0.11 है0 वाकेतन ग्राम जमालपुर, तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है। वादी ही उक्त आराजीयात को काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध वास्ता नहीं है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि वादी ने उक्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 से ही दिनांक 15.12.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी तथा प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नं. 1 ने ही मौके पर वादी को कब्जा संभलाया था तथा तभी से ही वादी ने उक्त आराजी में उत्तरी साइड में दो फीट का डण्डा कर रखा है तथा पश्चिम दिशा में चार फीट का डण्डा कर रखा है तथा पूर्व दिशा में आम सड़क है। इस प्रकार वादी की उक्त आराजी पर चारों तरफ पक्की डण्डे की दीवार हो रही है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 12.04.2022 सुबह 8 बजे का है कि वादी अपनी उक्त आराजी की सार संभाल करने गया व डण्डे को ऊंचा करवाने के लिए मिस्त्रीयों से बातचीत कर रहा था, इतने में ही प्रतिवादीगण मौके पर आ गये तथा वादी से कहा कि यहां क्या कर रह है, तूने जो डण्डा कर रखा है उसको हम तोड़ेंगे तथा पुनः हम हमारे खेत में मिलायेंगे। तब वादी ने कहा कि भाईयों मुझे आप क्यों परेशान करते हो तथा तुमने मुझे कब्जा संभलाया है उसी जगह पर मैंने डण्डा कर रखा है तथा तुमको किसी तरह का कोई जमीन जायदाद का बहम हो तो पटवारी से नपवा लो। लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी की एक भी नहीं सुनी तथा वादी से एलानियां कहा कि हम इस डण्डे को तोड़कर छोड़ेंगे तथा हमारी भूमि में मिलायेंगे तथा तुझे बेदखल करेंगे, हमारा गांव में बाहुल्य है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब वादी ने प्रतिवादीगण से हाथ जोड़कर अनुनय विनय की लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी की एक भी नहीं सुनी। इसलिए यह दावा माननीय न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त भूमि के डण्डे को तोड़कर अपने खेत में मिला लिया व वादी को बेदखल कर दिया तो वादी को गांव छोड़कर निकलना पड़ेगा तथा वादी के बाल बच्चे भूखे मर जावेंगे, तथा पक्षकारान में मुकदमाबाजी बढ़ेगी, जिसकी पूर्ति द्रव्य में भी संभव नहीं है, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन न्यायसंगत है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वादकारण बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 12.04.2022 को सुबह 8 बजे प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी के डण्डे को तोड़कर अपने खेत में मिलाने व वादी को बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ इसलिये दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि बलिहाज निवास स्थान पक्षकारान व बलिहाज भूमि मुतदाविया माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न भांति डिक्री करने के आदेश फरमावें :–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 8 के उपमद 8(क) में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खसरा नं. 1577/915 रकब 11 ऐयर वाकेतन ग्राम जमालपुर, तहसील हिण्डौन सिटी में वादी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग व निर्माण में न तो बाधा मजाहमत स्वयं पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा वादी के पक्के डण्डे को नहीं तोड़े, वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर पर प्रवेश नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादी के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

वाद पत्र के मद नं. 8 के उपमद 8(ख) में दर्ज किया है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

वाद पत्र के मद नं. 8 के उपमद 8(ग) में दर्ज किया है कि अन्य न्यायोचित अनुतोष बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 01.04.2024 को प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने आदेश दिये गये।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बर पेश की है।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1577/915 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी संतोष कुमार शर्मा पुत्र निरंजनलाल हिस्सा पूर्ण जाति जांगिड सा0ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1577/915 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 12.04.2022 को प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

द्वारा वादी की आराजी के डण्डे को तोड़कर अपने खेत में मिलाने व वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर ही वादी के द्वारा यह वाद पत्र पेश किया जाना सही प्रतीत होता है। वादी ने प्रतिवादीगण से परेशान होकर यह वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के खिलाफ सही पेश किया जाना प्रतीत होता है। ऐसे हालात में वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1577/915 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, निर्माण में ना तो बाधा, मजाहमत स्वयं पैदा करें, ना ही किसी अन्य से करावें तथा वादी के पक्के डण्डे को नहीं तोड़े, वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर पर प्रवेश नहीं करे, वादी को बेदखल नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादी के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़े। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/10/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)